झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–163 / 2019

रंजीत बिहारी प्रसाद .....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य ..... विपरीत पक्ष

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री दीपक कुमार सिन्हा, अधिवक्ता।

विरोधी पार्टी के लिए : वरीय एस0सी0–III के जे0सी0।

03 / 09.08.2019 याचिकाकर्त्ता डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–2526 / 2017, जो दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के अनुल्लंघनीय आदेश का अनुपालन न करने के कारण यथा निर्दिष्ट समय के भीतर बचे हुए त्रुटियों को दूर करने में विफल होने के कारण खारिज कर दिया गया था, की पुनःस्थापन चाहता है।

याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वह अनुल्लंघनीय आदेश का पालन करने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह उस तारीख को अनुपस्थित रहा और अनजान था। हालांकि, याचिकाकर्त्ता सेवानिवृति के बाद की बकाया राशि से संबंधित शिकायत पर निवेदन कर रहा है कि यदि रिट याचिका को पुनःस्थापित नहीं की जाती है तो वह अपूरणीय रूप से पीड़ित हो सकता है।

राज्य की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया।

आग्रह किए गए आधारों और पार्टियों को निवेदनों के मद्देनजर, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–2526 / 2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है।

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि रिट याचिका के त्रुटियों को पहले ही दूर कर दिया गया है, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद कार्यालय जाँच करे तथा इस मामले को उपयुक्त शीर्षक के अधीन सूचीबद्ध करें।

तद्नुसार, इस सी0एम0पी0 का निपटान किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)